Annexure - XXX

महत्वपूर्ण / तत्काल

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779

पत्रांक : 147 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 31 दिसम्बर, 2005

प्रेषक :

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में :

मानक सूची – 1 के अनुसार

विषय : उत्तरांचल सूचना आयोग का परिपत्र संख्या 65 / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 धारा 4 (1) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुवलों का प्रेषण तथा स्वतः प्रकटीकरण की प्रगति : प्रथम अनुस्मारक.

प्रिय महोदय / महोदया,

उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा अपने परिपत्र सं. 65 / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 के माध्यम से प्रत्येक विभाग के लोक प्राधिकारियों के स्तर से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर तैयार मैनुवलों की प्रतियां आयोग को प्रेषित करने के संबंध में अनुरोध किया गया था. इसी पत्र में 17 बिन्दुओं पर तैयार मैनुवलों के अतिरिक्त विभागों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण की प्रगति भी मांगी गई थी. उपरोक्त परिपत्र 65 की प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है (प्रति संलग्न).

2. आयोग के स्तर पर की गई समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिन 17 बिन्दुओं पर मैनुवल बनाने थे और जिसके लिए सूचना विभाग द्वारा टैम्पलेट (Template) भी जारी किया गया था उनकी प्रगति निम्नवत् रही :

2.1 सचिवालय स्तर पर केवल निर्वाचन विभाग द्वारा 17 बिन्दुओं पर मैनुवल तैयार कराकर आयोग को उपलब्ध करायी गयी है.

2.2 निदेशालय स्तर पर वन विभाग, जल संस्थान और स्वजल परियोजना द्वारा अपने मैनुवल प्रेषित किये गये.

2.3 मण्डलायुक्त स्तर पर कोई मैनुवल तैयार नहीं किये गये हैं जब कि मण्डलायुक्त कार्यालय भी एक महत्वपूर्ण लोक प्राधिकारी हैं.

2.4 किसी भी जिला स्तरीय कार्यालय से कोई मैनुवल प्राप्त नहीं हुए हैं जब कि जिलाधिकारी कार्यालय सबसे पुराने लोक प्राधिकारी हैं और उनके मैनुवल बनने अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं.

2.5 जिला स्तरीय कार्यालयों में मुख्य सूचना आयुक्त के पिथौरागढ़ भ्रमण के अवसर पर 12 विभागों के जनपद स्तरीय लोक प्राधिकारी स्तर के मैनुवल बनाये गये हैं. इनके अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 17 बिन्दुओं पर इन मैनुवलों को बनाने के लिए प्रत्येक निदेशालय और विभाग को विशेष प्रयास करने होंगे और प्रत्येक विभाग के अलग–अलग स्तरों के लिए अलग–अलग प्रकार के मैनुवल तैयार करने होंगे. स्पष्टतया सचिवालाय स्तर, निदेशालय स्तर, मण्डलायुक्त स्तर और जनपद स्तर तथा जनपद स्तर के निचले स्तर पर एक ही प्रकार के मैनुवल नहीं बन सकते. हालांकि कुछ बिन्दुओं पर सूचनायें एक समान होगी किंतु विभिन्न स्तरों पर सूचनायें अलग प्रकार की होंगी. प्रत्येक प्रमुख सचिव/ सचिव तथा निदेशालय स्तर पर इस पर विशेष प्रयास किये जाने आवश्यक हैं.

2.6 तहसील स्तर पर कोई मैनुवल तैयार नहीं किये गये हैं और न ही प्राप्त हुए हैं. राजस्व विभाग द्वारा तहसील स्तरों पर तैयार मैनुवलों के लिए टैम्पलेट के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही सम्पन्न की जाय तथा व्यावहारिक आवश्यक सूचनायें 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी जांय.

2.7 पिथौरागढ़ के विकास खण्डों के मैनुवल भ्रमण के दौरान प्राप्त किये गये. इनके भी अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम विकास विभाग के स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र पंचायत/ ब्लाक का मैनुवल पुनः संशोधित किया जाना आवश्यक है. मैनुवलों की प्रमुख कमी यह है कि ब्लाक को केवल ग्राम विकास का कार्यालय मानते हुए मैनुवल बनाये गये हैं जब कि अब विकास खण्ड को मुख्यतः क्षेत्र विकास समिति के रूप में देखते हुए जिला पंचायतों और क्षेत्र विकास अधिनियम के अन्तर्गत जो विकेन्द्रीकृत विभाग अब विकास खण्डों के अन्तर्गत आ गये हैं उनकी पृष्ठभूमि में यह मैनुवल बनाये जाने चाहिए. इसी प्रकार से पंचायतों के मैनुवलों को भी पंचायतीराज विभाग द्वारा केवल पंचायतीराज विभाग तक सीमित न करके उसे विकेन्द्रीकृत विभागों के परिप्रेक्ष्य में मैनुवल तैयार किये जाने चाहिए.

2.8 ग्राम पंचायतों को भी लोक प्राधिकारी घोषित कर दिया गया है तथा ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपने भ्रमण प्रतिवेदन में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास को इस स्थिति पर पुनः विचार के लिए अनुरोध किया गया है. आयोग की राय में जिस प्रकार से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं के अभिलेख के अभिरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं वही स्थिति ग्राम पंचायत स्तर पर भी होनी आवश्यक है. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपील अधिकारी अथवा आयोग के समक्ष अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर उपस्थित होने और किसी कमी के लिए दण्डित होने की संभावना को देखते हुए ग्राम प्रधानों को लोक सूचना अधिकारी नामित करना उचित प्रतीत नहीं होता. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास इस स्थिति का अविलम्ब पुनर्विलोकन करते हुए राजकीय अधिकारियों को ही अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी बनाने पर शीघ्रताशीघ्र निर्णय कराने पर विचार करें.

3. संक्षेप में, धारा 4 (1) के अन्तर्गत जहॉ तक 17 बिन्दुओं पर मैनुवलों को तैयार करने का प्रश्न है उस संबंध में निम्न टिप्पणी की जा सकती है.

3.1 जिन विभागों द्वारा और लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 (1) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर मैनुवल तैयार कर लिये हैं वह पुनः उसकी समीक्षा कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि ये मैनुवल व्यावहारिक तौर पर उपयोग के लिए है और जिस स्तर पर और जो लोक प्राधिकारियों के लिए मैनुवल बनाये गये हैं वह उस स्तर के लिए उपयुक्त हैं.

3.2 जिन विभागों के लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने मैनुवल सूचना विभाग को प्रेषित किये गये हैं वह उसकी प्रति उत्तरांचल सूचना आयोग को भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें जिससे उनकी उपयोगिता की समीक्षा आयोग स्तर पर भी की जा सके.

3.3 कई विभागों द्वारा इस कार्य को बहुत ही नैत्यिक (routine) तौर से लिया गया है जो कि अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है. इससे पूर्व कि ये मैनुवल आयोग को प्रेषित किये जांय प्रत्येक प्रमुख सचिव/ सचिव इन मैनुवलों का अपने स्तर पर इस दृष्टि से परीक्षण कर लें कि उनमें सम्मिलित सामग्री अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुरूप है और वह अधिनियम की भावना के अनुरूप उपलब्ध करायी गई हैं.

4. ज्ञातव्य है कि 17 बिन्दुओं पर यह मैनुवल प्रत्येक लोक प्राधिकारी/ विभाग को 12 अक्टूबर, 2005 तक तैयार कराये जाने चाहिए थे. अतः जिन लोक प्राधिकारियों / विभागों द्वारा उपरोक्त मैनुवल 12 अक्टूबर, 2005 तक तैयार नहीं किये गये हैं उनके संबंध में आयोग द्वारा इसे अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल मानते हुए अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इन विभागों/ लोक प्राधिकारियों के नाम का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है क्यों कि यह एक संवैधानिक बाध्यता है.

5. जिन लोक प्राधिकारियों/ विभागों द्वारा 12 अक्टूबर, 2005 तक उपरोक्त मैनुवल तैयार नहीं किये जा सके हैं उनसे यह अपेक्षित है कि वह इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि इस संबंध में जो विलम्ब हो रहा है वह इतना अधिक न हो जाय जिससे विभाग को किसी आलोचना का पात्र बनना पड़े.

6. आयोग द्वारा अब तक की गई समीक्षा से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि मात्र कुछ विभागों/ लोक प्राधिकारियों को छोड़कर अधिकांश अधीनस्थ विभागों/ लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 (1) के अन्तर्गत मैनुवलों को प्रकाशित करने के कार्य को अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया गया है जो कि अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है.

7. आयोग के परिपत्र संख्या 65 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ पुनः संलग्न की जा रही है को प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विभाग/ लोक प्राधिकारी अब इस कार्य को पूरी गम्भीरता से लेंगे और भविष्य में उसकी प्रगति से आयोग को सीधे अवगत करायेंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग, जो नोडल विभाग है को एवं आयोग को भी अग्रेतर प्रगति से अवगत करायेंगे.

8. जिन महत्वपूर्ण विभागों के स्तर पर धारा 4 (1) के अन्तर्गत निर्धारित 17 बिन्दुओं पर मैनुवल बनाने में निरन्तर शिथिलता अपनायी जायेगी उन विभागों के प्रमुखों को आयोग द्वारा उसकी प्रगति जानने के लिए आयोग कार्यालय में आहूत किया जाना प्रस्तावित है. आहूत किये जाने के उपरान्त विलम्ब के जो कारण विभाग/ लोक प्राधिकारियों द्वारा दिये जायेंगे उसे आयोग के द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव का ध्यानाकर्षण करते हुए इसे अपने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में अंकित किया जायेगा.

9. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए आयोग के परिपत्र संख्या 65 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 का अपने स्तर पर अवलोकन करने का कष्ट करें और कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायें.

भवदीय

संलग्नकः यथोक्त.

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त